

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि में से राज्य के 19 नगर निगमों को ₹45,06,42,000.00 रु० (पैंतालीस करोड़ छह लाख बयालीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित ₹45,06,42,000.00 रु० (पैंतालीस करोड़ छह लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	पी०एल० खाता	HOA संख्या	कुल आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पटना	नगर निगम, पटना	PTCPLA021	00-8448-00-102-0001-00-01	11,48,39,765.00
2	गया	नगर निगम, गया	GYAPLA014	00-8448-00-102-0001-00-01	3,23,26,338.00
3	नालंदा	नगर निगम, बिहारशरीफ	NLDPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01	2,30,34,407.00
4	भागलपुर	नगर निगम, भागलपुर	BGPPLA013	00-8448-00-102-0001-00-01	2,72,84,214.00
5	मुजफ्फरपुर	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	MUZPLA015	00-8448-00-102-0001-00-01	2,41,69,221.00
6	दरभंगा	नगर निगम, दरभंगा	DBGPLA012	00-8448-00-102-0001-00-01	2,01,85,611.00
7	पूर्णियाँ	नगर निगम, पूर्णियाँ	PRNPLA012	00-8448-00-102-0001-00-01	1,92,45,263.00
8	रोहतास	नगर निगम, सासाराम	RTSPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01	1,80,49,355.00
9	भोजपुर	नगर निगम, आरा	BJRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01	1,78,25,774.00
10	समस्तीपुर	नगर निगम, समस्तीपुर	STRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01	1,72,60,242.00
11	बेगूसराय	नगर निगम, बेगूसराय	BGSPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01	1,71,83,329.00
12	मधुबनी	नगर निगम, मधुबनी	MDNPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01	1,12,09,448.00

13	पश्चिमी चम्पारण	नगर निगम, बेतिया	WCHPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01	1,61,77,318.00
14	कटिहार	नगर निगम, कटिहार	KTRPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01	1,64,21,695.00
15	पूर्वी चम्पारण	नगर निगम, मोतिहारी	ECHPLA016	00-8448-00-102-0001-00-01	1,51,13,076.00
16	मुंगेर	नगर निगम, मुंगेर	MGRPLA011	00-8448-00-102-0001-00-01	1,45,44,203.00
17	सारण	नगर निगम, छपरा	SRNPLA003	00-8448-00-102-0001-00-01	1,37,97,502.00
18	सीतामढ़ी	नगर निगम, सीतामढ़ी	SMRPLA009	00-8448-00-102-0001-00-01	1,72,13,671.00
19	सहरसा	नगर निगम, सहरसा	SAHPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01	1,47,61,568.00
योग (क)					45,06,42,000.00

कुल स्वीकृत राशि ₹45,06,42,000.00 रु० (पैंतालीस करोड़ छह लाख बयालीस हजार रु०) मात्र।

- उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹45,06,42,000.00 रु० (पैंतालीस करोड़ छह लाख बयालीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक- 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।
- उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹45,06,42,000.00 रु० (पैंतालीस करोड़ छह लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0016-पेशाकर के आलोक में अनुदान, विषय शीर्ष- 0016.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड- 48-2217801910016 से की जायेगी। इस राशि का व्यय राज्य के सभी नगर निगमों द्वारा वेतन मद में किया जायेगा।
- बिहार पेशाकर व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 16 के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से स्थानीय प्राधिकार द्वारा पेशाकर का उदग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 निरस्त हो गई है तथा पेशाकर नगर निकाय का आंतरिक संसाधन नहीं रह गया है।
- पेशाकर की राशि का व्यय विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

7. संबंधित नगर निकाय द्वारा कोषागार में पेशाकर मद में पूर्व में आवंटित राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर आवंटित राशि व्यय करेंगे।
8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि०(2), दिनांक- 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. सहायक अनुदान की उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 13.01.2026 के मद संख्या-25 के रूप में प्राप्त है।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/विविध (पेशाकर)-16-15/2025 के पृष्ठ सं०-.....12...../टि० पर दिनांक-14/01/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....13...../टि० पर दिनांक-14/01/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध (पेशाकर)-16-15/2025 432 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-15/01/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक, को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने संबंधित एवं सभी को ई-मेल करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।